

प्रेषक,

आर0एम0 श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय,
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग),
भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली।

गृह(पुलिस) अनुभाग-

लखनऊ: दिनांक: जुलाई, 2013

विषय: थाना.....जिला.....में पंजीकृत मु0अ0सं0-.....धारा.....
भा0दं0वि0 की विवेचना सी0बी0आई0 से कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 शासन द्वारा थाना जिला.....में पंजीकृत मु0अ0सं0-.....धारा..... भा0दं0वि0 की विवेचना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में प्रदेश सरकार की सहमति एवं निर्धारित प्रारूप पर सूचना संलग्न है।

2- अतः अनुरोध है कि पत्र की प्राप्ति स्वीकार करते हुए प्रश्नगत प्रकरण की समयबद्ध रूप से विवेचना पूर्ण कराते हुए कृत कार्यवाही से राज्य सरकार को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

आर0एम0 श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव।

संख्या- (1) / 6-पु0- -2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- पुलिस महानिरीक्षक, लोक शिकायत, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, |
- 4- कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,

()
विशेष सचिव।

Proforma for making reference to Central Government for CBI Inquiry/Investigation

1	Brief facts of the case to be investigated (Detail as regards the crime-what how, when, where and why, whom may invariably be indicated.)	
2	Copy of FIR (if a case has already been registered by the local police) if FIR local language the English translation may be provided	
3	Result of investigation done by the local police, including details of seizures/arrest made and the present status of arrested accused i.e. whether of bail or in custody.	
4	Details of Court case, if any, filed in matter.	
5	Justification for referring the matter to CBI including inter state or transnational ramifications.	
6	Reason regarding local/state police not being in a position to investigate the matter	
7	Whether the State Govt. will be ready to place resources man power and logistic support including camp office and vehicles at the disposal of CBI, in case required, in connection with the investigation of the case	

उत्तर प्रदेश शासन
गृह(पुलिस) अनुभाग-12
संख्या:- / छ:-पु0-.....-13-.....(....)डी / 13
लखनऊ: दिनांक: जुलाई, 2013

अधिसूचना

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946(अधिनियम सं0 25 सन् 1946) की धारा-6 के अनुसरण में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थाना, जिला में पंजीकृत मु0अ0सं0 धाराभादवि 1860 (अधिनियम सं 45 ऑफ 1860) के अधीन दण्डनीय, में उद्भूत होने वाले तथ्यों या तथ्य या उनके संव्यवहार के क्रम में किये गये उक्त अपराधों के सम्बन्ध में या उससे संसक्त अपराधों/मामलों और किन्हीं अन्य अपराधों, प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षडयन्त्र के अन्वेषण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र में शक्ति और अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों को सक्षम बनाने हेतु सम्मति प्रदान करते हैं।

()
प्रमुख सचिव।

संख्या:- (1) / छ:-पु0- -13

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तर प्रदेश, ऐशबाग, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ कि उक्त अधिसूचना सरकारी गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4-खण्ड(ख) के असाधारण अंक में प्रकाशित करने और उत्तर प्रदेश शासन, गृह (पुलिस) अनुभाग-..... को 25 प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

()
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
गृह(पुलिस) अनुभाग-12
संख्या:- / छ:-पु0-.....-13-.....(....)डी / 13
लखनऊ: दिनांक: जुलाई, 2013

अधिसूचना

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946(अधिनियम सं० 25 सन् 1946) की धारा-6 के अनुसरण में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थाना, जिला में पंजीकृत मु०अ०सं० धाराभादवि 1860 (अधिनियम सं 45 ऑफ 1860) के अधीन दण्डनीय, में उद्भूत होने वाले तथ्यों या तथ्य या उनके संव्यवहार के क्रम में किये गये उक्त अपराधों के सम्बन्ध में या उससे संसक्त अपराधों/मामलों और किन्हीं अन्य अपराधों, प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षडयन्त्र के अन्वेषण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र में शक्ति और अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों को सक्षम बनाने हेतु सम्मति प्रदान करते हैं।

()
सचिव।

संख्या:- (1) / छ:-पु0- -13

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तर प्रदेश, ऐशबाग, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ कि उक्त अधिसूचना सरकारी गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4-खण्ड(ख) के असाधारण अंक में प्रकाशित करने और उत्तर प्रदेश शासन, गृह (पुलिस) अनुभाग-..... को 25 प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

()
अनु सचिव।

Uttar Pradesh Shasan
Grih (Police) Anubhag-

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no:-/6-Pu-.....-13--(.....)..../13, Dated: July, 2013 for general information.

NOTIFICATION

No..... / 6-..... -.....-.....-.....(.....)..../13,
Lucknow: Dated: July, 2013

In pursuance of the provisions of section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act no. 25 of 1946) the Governor is pleased to accord the consent to exercise the powers and jurisdiction by the member of the Delhi Special Police Establishment within the whole of Uttar Pradesh for investigation of offences punishable under section Indian Penal Code 1860, relating to case crime No.-..... registered at Police Station..... District, Uttar Pradesh pertaining to murder of Mr/Ms..... at in relation to or in connection with the said offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same fact or facts in relation to the aforesaid case.

by order in the
name of Governor of U.P.

(R. M. Srivastava)
Principal Secretary,
Home Department,
Govt. of U.P.